समानता के लिए
ईसाई औरतों का संघर्ष

वीणा शिवपुरी

अन्य संप्रदायों की तरह ईसाई औरतों के जीवन पर भी धर्म का कड़ा नियंत्रण रहा है। ख़ासतौर पर शादी, तलाक या उत्तराधिकार जैसे मामलों में उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती आई है। व्यक्तिगत कानून के तहत उन्हें अपने ही धर्म के कानून को मानना पड़ता है। वे भारतीय होते हुए भी भिन्न कानूनों से बंधी हुई हैं।

असमानता और भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ़ ईसाई औरतों का संघर्ष बहुत पुराना है। ये कानून सैकड़ों साल पुराने हैं। आज के समय में उनकी उपयोगिता खत्म हो चुकी है। ज्यादातर धार्मिक कानून औरत को मर्द से गिरा हुआ दर्जा देते हैं। उसके साथ अन्याय करते हैं।

बेटियों को संपत्ति में बराबर हिस्सा

कुछ हिम्मती औरतों ने इसके ख़िलाफ़ सिर्फ़ आवाज़ ही नहीं उठाई, वर्षों लंबा व कठिन संघर्ष भी किया। एक स्कूल अध्यापिका मेरी रॉय ने सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ी। सन 1986 में ट्रावनकोर ईसाई उत्तराधिकार कानून को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। इस कानून के तहत बेटियों को पिता की संपत्ति का सिर्फ़ एक चौथाई भाग या पांच हज़ार रुपये जो,भी कम हो वही मिलता था। अब देश के सभी ईसाइयों पर भारतीय उत्तराधिकार कानून लागू होगा।

तलाक कानून बदला

इसी तरह मेरी सोनिया ज़कारिया और इ. जे. अम्मीनी ने भारतीय तलाक कानून के खंड दस को चुनौती दी। इसके तहत ईसाई औरत को तलाक पाने के लिए यह साबित करना पड़ता था कि उसका पति गैर-कानूनी रिश्तों में यौन संबंध रखता है। या अन्य औरत के साथ यौन संबंध रखने के साथ वह पत्नी पर अत्याचार करता है या उसे छोड़ गया है। जबकि पति इनमें से कोई एक आरोप साबित कर के पत्नी से तलाक पा सकता था। इस कानूनी संघर्ष के परिणामस्वरूप केरल उच्च न्यायालय ने इस डेढ़ सौ साल पुराने पक्षपाती कानून को निरस्त घोषित कर दिया।

ईसाई धर्म की कानूनी सत्ता चर्च के हाथ में रही है। चर्च ने हमेशा तलाक का विरोध किया है। इसके कारण हज़ारों औरतों को मजबूरन बहुत दुखदाई शादियों को निबाहना पड़ा है। अनेक दुख उठाते हुए भी उन्हें शादी के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता था।

एक और उदाहरण

इसका बहुत दुखद उदाहरण केरल की एक ईसाई लड़की का है। वह पश्चिम बंगाल में अपने सात साल के बेटे के साथ बेसहारा जीवन जी रही है। उसका पति खाड़ी प्रदेश में नौकरी करता था। वह तीन महीने के लिए भारत छुट्टी पर आया। यहां उसने इस लड़की से शादी की। तीन महीने साथ रहा, फिर खाड़ी देश को लौट गया। फिर न उसका पति लौटा और न गुज़ारा भत्ता दिया। इसके गले में शादी और एक बच्चे का फंदा डाल कर खुद गायब हो गया। चर्च ने उसे सलाह दी कि इंतजार करे और भगवान से उसके लौटने की प्रार्थना करे। प्रार्थना से पेट तो नहीं भरता। अब मेरी सोनिया ज़कारिया और अम्मीनी जैसी औरतों की हिम्मत का फ़ायदा ऐसी हज़ारों बेसहारा औरतों को मिल सकता है। वे भगौड़े पतियों से तलाक पाकर नया जीवन शुरू कर सकती हैं।

असली जीत

देश के अनेक न्यायालयों में ईसाई औरतों ने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई। वर्षों तक संघर्ष किया और अंत में जीत पाई। लेकिन असली जीत तब होगी जब इन अलग-अलग मामलों पर आधारित एक संपूर्ण बिल संसद में पास होकर सारे देश के लिए कानून का रूप ले लेगा।

महिलाओं की एक संस्था ने यह बिल तैयार किया है। इसमें पति यदि बिना वसीयत के मर जाए तो उसकी पूरी सम्पति पर पत्नी का अधिकार माना जाएगा। बच्चों का हक़ भी मां की मृत्यु के बाद होगा। इस प्रकार से इस बिल के तहत आज तक ईसाई औरतों के साथ होने वाले कानूनी भेदभाव को मिटाने की कोशिश की गई है। मेरी रॉय और उनके जैसी अनेक साहसी औरतों की मेहनत का फल है कि यह मुद्दा सामने आ सका। अनेक गैर-सरकारी संस्थाओं ने इसे समय-समय पर उठाया। अब सरकार और देश के न्यायालयों ने इसे माना है। अब आखिरी क़दम का इंतज़ार है जब यह बिल कानून की शक्ल ले लेगा। □